



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-02012023-241590
CG-DL-W-02012023-241590

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 47] नई दिल्ली, दिसम्बर 18—दिसम्बर 24, 2022, शनिवार/ अग्रहायण 27—पौष 3, 1944
No. 47] NEW DELHI, DECEMBER 18—DECEMBER 24, 2022, SATURDAY/AGRAHAYANA 27—PAUSHA 3, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि.198.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, कैंटीन स्टॉफ भर्ती नियम, 2000 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में सहायक प्रबंधक—सह—स्टोर कीपर, हलवाई—सह—रसोइया और कैंटीन परिचारक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम— सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, कैंटीन स्टॉफ (सहायक प्रबंधक—सह—स्टोर कीपर, हलवाई—सह—रसोइया और कैंटीन परिचारक) पद के भर्ती नियम, 2022 है।

- (ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
2. आवेदन – ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट पद के लिए लागू होंगे ।
 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।
 4. भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं आदि— भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।
 5. निरर्हता – वह व्यक्ति –
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है, या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।
 6. शिथिल करने की शक्ति— जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।
 7. व्यावृत्ति— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम ।	पद संख्या ।	वर्गीकरण ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।	चयन या अचयन पद ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु—सीमा ।	सीधे भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. सहायक प्रबंधक—सह-स्टोर कीपर ।	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 4 (रु. 25,500-81,100/-) टिप्पण— उन्हें टाइप ए, बी, सी, डी तथा 2ए, 3ए कैटेग्री में कार्य करने के लिए प्रतिमाह रु. 250/- का विशेष भत्ता भी मिलेगा और टाइप 4ए तथा उससे ऊपर की श्रेणी के कैटेग्री में कार्य करने के लिए प्रतिमाह रु. 500/- का विशेष भत्ता मिलेगा ।	अचयन ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या पतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(11)
<p>प्रोन्नति :- वेतन मैट्रिक्स स्तर -2 (रु. 19,900-63,200/-) में 8 वर्षीय नियमित सेवा वाले कैंटीन परिचालक ।</p> <p>टिप्पण- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।</p> <p>प्रतिनियुक्ति- नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाला अधिकारी ; या वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रु. 19,900-63,200/-) में आठ वर्ष की नियमित सेवा वाले लिपिक ।</p> <p>टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर ब्राह्मण पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p>टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हैं तो उसका संरचना क्या है ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
<p>समूह - ग विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार हेतु) जिसमें निम्नलिखित होंगे-</p> <ol style="list-style-type: none"> उप निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी - अध्यक्ष; सहायक निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी - सदस्य ; प्रशासनिक अधिकारी(ग्रेड-II या ग्रेड-III), सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी - सदस्य । 	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)
2. हलवाई-सह-रसोइया ।	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अतकनीकी, अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 3 (रु. 21,700-69,100/-)

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता ।	<p>18 से 27 वर्ष के मध्य</p> <p>(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की स्थिति में 40 वर्ष की आयु तक के सरकारी कर्मचारियों तथा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों की स्थिति में 45 वर्ष तक की आयु के सरकारी कर्मचारियों हेतु छूट दी जाएगी)</p> <p>टिप्पण 1- आयु सीमा पर निर्णय लेने हेतु अंतिम तारीख भारत में (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य</p>	<p>आवश्यक :-</p> <p>a) किसी भी सरकार या सरकारी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट या 10+2 पास या कैंटरिंग प्रमाणपत्र में डिप्लोमा ।</p> <p>b) उम्मीदवार की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए खाना पकाने के लिए एक व्यावसायिक कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी ।</p>

	<p>क्षेत्र, लाहौल और स्पीति जिला, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पंगी सब डिवीजन तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के निवासियों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख पृथक होगी।) उम्मीदवारों से आवेदनों को प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी।</p> <p>टिप्पण 2—रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>	<p>वांछनीय —</p> <p>सरकार या सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुक या हलवाई के रूप में एक से दो साल का अनुभव।</p>
--	--	--

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती हेतु 02 वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	<p>प्रतिनियुक्ति—</p> <p>केन्द्रीय सरकार के अधिकारी जो :</p> <p>(a) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों ; या</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 2 (रु. 19,900-63,200/-) में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा के साथ</p> <p>सहायक हलवाई-सह-रसोइया।</p> <p>टिप्पण 1 - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर ब्राहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2 -प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

(12)	(13)
<p>समूह - ग विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टिकरण हेतु) निम्न युक्त होंगी -</p> <ol style="list-style-type: none"> उप निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी -अध्यक्ष; सहायक निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी- सदस्य ; प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड II एवं ग्रेड III- सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी-सदस्य। 	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. कैंटीन परिचारक।	06* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अतकनीकी,अराजपत्रित, अननुसूचितविवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 1 (रु. 18,000-56,900/-)	लागू नहीं होता।

(6)	(7)
<p>18 से 27 वर्ष के मध्य</p> <p>(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की स्थिति में 40 वर्ष की आयु तक के सरकारी कर्मचारियों तथा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों की स्थिति में 45 वर्ष तक आयु तक के सरकारी कर्मचारियों हेतु छूट दी जाएगी)</p> <p>टिप्पण 1- आयु सीमा पर निर्णय लेने हेतु अंतिम तारीख भारत में (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, लाहौल और स्पीति जिला, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पंगी सब डिवीजन तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के निवासियों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख पृथक होगी।) उम्मीदवारों से आवेदनों को प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी।</p>	किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष।

टिप्पण-2 रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता ।	02 वर्ष ।	सीधी भर्ती द्वारा ।	लागू नहीं होता ।

(12)	(13)
समूह – ग विभागीय प्रान्ति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे— 1. उप निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी – अध्यक्ष; 2. सहायक निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी – सदस्य ; 3. प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड II एवं ग्रेड III), सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी – सदस्य ।	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 23011/62/2018-पुलिस प्रशिक्षण]

रमण कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 21st December, 2022

G.S.R. 198.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the SardarVallabhbai Patel National Police Academy Canteen Staff Recruitment Rules, 2000 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Manager-cum- Store Keeper, Halwai-cum-Cook and Canteen Attendant in the SardarVallabhbai Patel National Police Academy, Hyderabad, in the Ministry of Home Affairs, namely :-

- Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the SardarVallabhbai Patel National Police Academy, Canteen Staff (Assistant Manager-cum- Store Keeper, Halwai-cum-Cook and Canteen Attendant)Recruitment Rules,2022.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application.**- These rules shall apply for the post specified in the Schedule annexed to these rules.
- Number of post, classification and level in the pay matrix.** -The number of posts there classification and pay level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the said Schedule.
- Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.**-The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification.** - No person,-
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ;or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person
shall be eligible for appointment to the above said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving.**- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, the Other Backward class and the other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
J. Assistant Manager-cum-Store Keeper.	01* (2022) *Subject to variation dependent on work.	General Central Service, Group-C, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay level-4 (Rs. 25,500 – 81,100/-)in the pay matrix. Note: He shall also draw Special Allowance of Rs. 250/- per month for attending to duties in canteens Type 'A', 'B', 'C' 'D' and '2-A' and '3- A' and Rs. 500/- per month in Canteens Type '4 –A' and above.	Non-Selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.

(11)

Promotion:

Departmental Clerk in the scale of pay level-2(Rs. 19,900-63,200/-) of pay matrix with eight years regular service in the grade.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed probation period for promotion to the level higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation:

(i) Official holding analogous post on regular basis ; or

(ii) Clerks with eight years regular service in pay level-2 (Rs. 19,900-63,200/-) of the pay matrix.

Note 1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization shall ordinarily not exceed three years.

Note 2: The upper age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (i) Deputy Director, SardarVallabhbhai Patel National Police Academy - Chairman; (ii) Assistant Director, SardarVallabhbhai Patel National Police Academy - Member; (iii) Administrative Officer (Grade-II or Grade-III), Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Halwai-cum- Cook.	01*(2022) *Subject to variation dependent on work.	General Central Service, Group-C, Non-Technical, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-3 (Rs. 21,700 – 69,100/-) in the pay matrix.	Not applicable.

(6)	(7)
Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in the case of general candidates and upto forty five years of age in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1. The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates except for the candidates from Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, the Union territory of Ladakh, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Island and the Union Territory of Lakshadweep). Note 2. The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	1. Essential: (a) Intermediate or 10+2 pass or Diploma in catering certificate from any Government or Government recognized Board or University. (b) A Trade Skill Test for cooking shall be conducted to assess suitability of the candidate. Desirable: Having one to two years work experience as Cook or Halwai in a Government or public Sector undertakings.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years for direct recruitment.	By deputation failing which by direct Recruitment.

(11)
Deputation: Officials of the Central Government:- (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) Assistant Halwai-Cum-Cook with at least three years regular service in level -2 (Rs. 19,900 – 63,200/-) of the pay matrix. Note-1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall ordinarily not exceed three years. Note-2: The upper age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (i) Deputy Director, SardarVallabhbbhai Patel National Police Academy - Chairman; (ii) Assistant Director, SardarVallabhbbhaiPatelNational Police Academy –Member; (iii) Administrative Officer(Grade-IIor Grade-III),SardarVallabhbbhai Patel National Police Academy – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Canteen Attendant.	06* (2022) *Subject to variation dependent on work.	General Central Service, Group-C, NonTechnical, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 (Rs. 18,000-56,900/-) in the pay matrix	Non applicable.

(6)	(7)
Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in the case of general candidates and upto forty five years of age in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1. The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates except for the candidates from Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, the Union territory of Ladakh, Lahaul and Spiti district and Pangl Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Island and the Union Territory of Lakshadweep). Note 2. The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Matriculation or equivalent from any recognised Board.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (i) Deputy Director, SardarVallabhbbhai Patel National Police Academy –Chairman; (ii) Assistant Director, SardarVallabhbbhai Patel National Police Academy –Member; (iii) Administrative Officer (Grade-II or Grade-III), Sardar Vallabhbbhai Patel National Police Academy –Member.	Not applicable.

[F. No. 23011/62/2018-Police Training]

RAMAN KUMAR, Under Secy.